

भाग—III

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00 (बेरीनाग— चकोड़ी — काण्डा— बागेश्वर — ताकुला अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण कार्य

लम्बाई — 36.00 किमी०

(प्रस्ताव संख्या 151120/2022)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 10.05.2022।
15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:— 13.05.2022

स्थान:— अल्मोड़ा।

(कुबेर सिंह बिष्ट)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा